निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आषाढ़ 1939 (श0)
(सं0 पटना 610) पटना, शुक्रवार, 14 जुलाई 2017

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना
1 जून 2017

सं0 22/नि0सि0(दर0)–16–05/12–826—श्री सच्चिदानंद प्रसाद सिंह (आई0डी0–1965) तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, कुनौली द्वारा अपने उक्त पदस्थापन काल में बरती गई कतिपय अनियमितता हेतु मुख्य अभियंता, दरभंगा के निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक–756, दिनांक 07.07.12 द्वारा स्पष्टीकरण किया गया। श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत श्री सिंह के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया है।

सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प सह पठित ज्ञापांक 342, दिनांक 04.02.15 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र–'क' पठित करते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

आरोप सं0–1–दिनांक 06.07.12 को पश्चिमी कोशी मुख्य नहर (नेपाल भाग) के कि0मी0 11.785 पर दायाँ बाँध नहर संचालन के क्रम में टूट गया। जाँच क्रम में पाया गया कि रूपांकित जलश्राव 8500 क्यूसेक के विरूद्ध मुख्य नहर से मात्र 1500 क्यूसेक ही प्रवाहित हो रहा था। मुख्य नहर के कि0मी0 13.831 पर अवस्थित त्रियक नियामक के फाटकों के सही संचालन नहीं किये जाने के कारण उक्त बिन्दू से उर्ध्वभाग में जल का दबाब बढ़ता गया एवं अंततः कि0मी0 11.785 पर नहर बाँध टूट गया। यदि आपके द्वारा व्यादेश देने के पूर्व नहर बाँध की सतत निगरानी की जाती एवं चौकसी बरती जाती तथा नहर के बाँध तथा नहर पर अवस्थित त्रियक नियामक के अनुरूप व्यादेश किया जाता तो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न नहीं होती। जबकि विभागीय निदेशानुसार नहर के स्थिति के अनुरूप ही नहर में जल प्रवाहित कराते हुए सघन गणित एवं गस्ती करते हुए खरीफ पटवन में अंतिम छोर तक पटवन कराना था। जिसका आपके द्वारा उल्लंघन किया गया। फलस्वरूप नहर बाँध टूट के कारण सिंचाई व्यवस्था बाधित हुई एवं सरकारी राजस्व की भी हानि हुई। जिसके लिए आप प्रथम द्रष्टया दोषी पाये गये हैं।

आरोप सं0–2–मुख्य अभियंता के स्थल निरीक्षण के क्रम में मुख्य नहर के कि0मी0 16.50 पर अवस्थित त्रियक नियामक के ऊपर से पानी प्रवाहित होता हुआ पाया गया जो आपके कार्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है। स्थिति के अनुकूल कार्रवाई नहीं किये जाने के फलस्वरूप नहर बाँध में टूटान जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। अतः नहरो पर सघन चौकसी एवं गशती नहीं करने तथा कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही के लिए आप प्रथम द्रष्टया दोषी पाये गये हैं।

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसके संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप को अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमति के निम्न बिन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया।

असहमति के बिन्दू –श्री सिंह के संज्ञान में था कि मुख्य नहर के बि0दू0 13.831 पर अवस्थित त्रियक नियामक का संचालन सही ढ़ग से नहीं हो पा रहा है तो आपके द्वारा 1500 घन क्यूसेक जलश्राव का व्यादेश क्यों दिया गया? अगर व्यादेश देने के पूर्व नहरों तथा गेटों का सघन निरीक्षण कर लिया जाता तो संभव था कि इस तरह की घटना नहीं घटती। जबकि विभागीय पत्रांक–965, दिनांक 04.07.12 से नहरों पर सघन चौकसी एवं गशती करते हुए खरीफ सिंचाई हेतु नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाने का निदेश भी दिया गया। इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि नहरों में जल प्रवाहित हेतु व्यादेश देने के पूर्व आपके द्वारा न तो स्वयं नहरों का निरीक्षण किया गया और न ही अधीनस्थ पदाधिकारी से निरीक्षण कराकर गेटों तथा नहरों के वास्तविक स्थिति से अवगत हुए। अतः यह परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा विभागीय निदेशों का उल्लंघन किया गया।

मुख्य अभियंता के निरीक्षण प्रतिवेदन से भी स्पष्ट होता है कि नहरों की सतत निगरानी नहीं करने तथा परिस्थिति के अनुकूल कार्रवाई नहीं करने के कारण टूटान हुआ एवं पटवन कार्य में संलग्न पदाधिकारी को उत्तरदायी माना गया है। आपके द्वारा अपने बचाव बयान के साथ ऐसा कोई तथ्य साक्ष्य नहीं दिया गया है जिससे परिलक्षित हो सके कि आपके द्वारा व्यादेश निर्गत करने के पूर्व नहरों का सघन निरीक्षण किया गया हो एवं नहर में जल प्रवाहित होने के दौरान भी नहरों का सतत निगरानी एवं चौकसी बरती गई हो। अगर आपके द्वारा अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करते हुए नहरों का सघन चौकसी एवं सतत निगरानी करते एवं कराते हुए नहर के वास्तविक स्थिति के अनुरूप व्यादेश करते तथा सतत निगरानी करते/कराते तो संभवतः नहर टुटान जैसी घटना एवं टूटान भराई कार्य में सरकारी राशि का व्यय नहीं होता।

असहमति के उक्त बिन्दू के आलोक में विभागीय पत्रांक 1869, दिनांक 24.08.16 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा किया गया। श्री सिंह द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री सिंह द्वारा बाँध एवं सभी सी0आर0 गेटों का सघन निरीक्षण नहर खुलने के पूर्व दिनांक 01.06.2012 को किया गया। निरीक्षण के उपरांत नहर गेटों की खराब स्थिति को देखते हुए कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक प्रमंडल, वीरपुर को पत्रांक–256, दिनांक 01.06.2012 से नहर गेटों को ठीक कराने का आग्रह किया गया।

पुनः दिनांक 23.06.2012 को नहर का निरीक्षण किया एवं स्थिति यथावत रहने पर पुनः कार्यपालक अभियंता यांत्रिक प्रमंडल, वीरपुर से अनुरोध किया गया। अधीक्षण अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर अंचल, झंझारपुर द्वारा 1500 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया गया।

परंतु कार्यपालक अभियंता की मुख्य जिम्मेदारी यह बनती थी कि नहर प्रणाली के समुचित एवं रख रखाव कर इसे टूटने से बचायें। आरोपित पदाधिकारी ने अपने कर्त्तव्य का निर्वहन गंभीरता से नहीं किया। इनके द्वारा 1500 क्यूसेक जल छोड़ने का व्यादेश दिया गया जिसके कारण जल का दबाव बढने से नहर टूट गई। अगर श्री सिंह द्वारा पूरे क्षेत्र का सघन निरीक्षण किया गया होता और ससमय निरोधात्मक कार्रवाई की गई होती तो नहर टूटने की स्थिति नहीं बनती। मात्र कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक प्रमंडल को बार–बार सूचित करने से इनकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती। अगर विभागीय अभियंता श्री सिंह के बात को नजरअंदाज करते थे तो इसकी सूचना अविलंब उच्च पदाधिकारियों को देनी चाहिए थी ताकि नहर को टूटने से बचाया जा सके।

उक्त के आलोक में श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित पाते हुए श्री सिंह के विरूद्ध "05 (पाँच) प्रतिशत पेंशन की कटौती दो वर्षों के लिए" का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में उक्त दण्ड श्री सच्चिदानन्द प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, कुनौली सम्प्रति सेवानिवृत को दिया एवं संसूचित किया जाता है।

सरकार के उक्त निर्णय में बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जीउत सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 610–571+10–**डी0टी0पी0।**
Website: http://egazette.bih.nic.in